# अपराध सरकारों के, माफी किसानों को

हाल ही में सरकार नें किसानों कें
कर्ज माफ़ करने का कदम उठाया है।
इसी का प्राथमिक विश्लेषण
विकास संवाद द्वारा किया गया है।

# मध्यप्रदेश में किसान और कर्ज से राहत*

| भारत के संदर्भ में | संख्या |
|---|---|
| देश में कुल परिवार | 147898800 |
| देश में कुल कृषक परिवार | 89350400 |
| देश में कुल ऋणग्रस्त परिवार | 43424200 |
| देश में कुल कृषक परिवार (प्रतिशत में) | 48.6 |
| | |
| **मध्यप्रदेश के संदर्भ में** | **संख्या** |
| मध्यप्रदेश में कुल परिवार | 9389800 |
| मध्यप्रदेश में कुल किसान परिवार | 6320600 |
| मध्यप्रदेश में एक किसान पर औसत ऋण राशि | 14218 रूपये |
| मध्यप्रदेश में कर्जे से ग्रस्त कुल किसान परिवार | 3211000 |
| मध्यप्रदेश में कर्जे से ग्रस्त कुल किसान परिवार (प्रतिशत में) | 50.80 प्रतिशत |
| राज्य में कुल छोटे और सीमांत किसान (2 हेक्टर तक ) | 3775934 |
| राज्य में कुल जोतों की संख्या | 73.60 लाख |
| मध्यप्रदेश में आदिवासी कृषक | 21.1 प्रतिशत |
| मध्यप्रदेश में दलित कृषक | 21.1 प्रतिशत |
| अन्य पिछड़ा वर्ग कृषक | 21.1 प्रतिशत |
| अन्य | 19.4 प्रतिशत |
| **मध्यप्रदेश में सभी किसानों की कुल ऋण राशि** | **8986 करोड़ रूपये** |
| **मध्यप्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों की कुल ऋण राशि** | **4029.54 करोड़ रूपये** |
| **मध्यप्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों पर संस्थागत ऋण** | **2337 करोड़ रूपये** |
| **मध्यप्रदेश में ऋणग्रस्तता किसान (कुल किसानी कर्ज में से)** | |
| **सामाजिक वर्ग** | **प्रतिशत** |
| आदिवासी | 15.9 प्रतिशत |
| दलित | 18.6 प्रतिशत |
| अन्य पिछड़ा | 47.8 प्रतिशत |
| आय वर्ग | 17.6 प्रतिशत |

| मध्यप्रदेश में छोटी और सीमांत भूमिधारित | | |
|---|---|---|
| **भूमि आकार** | **संख्या (लाख)** | **भारत** |
| राज्य में सीमांत भूमि धारित (जोतें) | 28.38 लाख | 38.56 प्रतिशत |
| राज्य में छोटे भूधारिता (जोतें) | 19.51 लाख | 26.51 प्रतिशत |
| अन्य (जोतें) | 25.71 लाख | 34.93 प्रतिशत |
| कुल (जातें) | 73.60 लाख | 100 प्रतिशत |

* किसानों की ऋणग्रस्तता का यह विश्लेषण भारत सरकार के नेशनल सेम्पल सर्वे ऑर्गनाइजेशन के नेशनल सेम्पल सर्वे के 59वें चक्र के आंकड़ों एवं निष्कर्षो के आधार पर विकास संवाद द्वारा किया गया है।

## भू-स्वामित्व (मध्यप्रदेश एवं भारत)

| भूमि आकार | मध्यप्रदेश | भारत |
|---|---|---|
| 0.01 हेक्टर | 0.04 प्रतिशत (2530 परिवार) | 0.013 प्रतिशत |
| 0.01 से 0.40 हेक्टर | 8.00 प्रतिशत (505648 परिवार ) | 29.9 प्रतिशत |
| 0.41 से 1.00 हेक्टर | 24.6 प्रतिशत (1554866 परिवार ) | 29.8 प्रतिशत |
| 1.01 से 2.00 हेक्टर | 27.1 प्रतिशत (1712890 परिवार ) | 18.9 प्रतिशत |
| 2.01 से 4.00 हेक्टर | 23.1 प्रतिशत (146005 परिवार ) | 12.5 प्रतिशत |
| 4.01 से 10.00 हेक्टर | 13.0 प्रतिशत (821678 परिवार ) | 6.4 प्रतिशत |
| 10.00 हेक्टेयर से ज्यादा | 0.39 प्रतिशत (24650 परिवार ) | 0.12 प्रतिशत |

## मध्यप्रदेश में कुल ऋण राशि

| भूमि आकार | मध्यप्रदेश | ऋण राशि |
|---|---|---|
| 0.01 हेक्टर | 0.04 प्रतिशत (2530) | 1.54 करोड़ रूपये |
| 0.01 से 0.40 हेक्टर | 8.00 प्रतिशत (505648) | 331 करोड़ रूपये |
| 0.41 से 1.00 हेक्टर | 24.6 प्रतिशत (1554866) | 1340 करोड़ रूपये |
| 1.01 से 2.00 हेक्टर | 27.1 प्रतिशत (1712890) | 2357 करोड़ रूपये |
| | **कुल राशि** | **4029.54 करोड़ रूपये** |
| | **संस्थागत ऋण (कुल ऋण का 58 प्रतिशत)** | **2337 करोड़ रूपये** |

## किसानों के वर्तमान कर्ज का कारण और उपयोग

| | मध्यप्रदेश | भारत |
|---|---|---|
| कृषि में पूंजीगत व्यय | 47.2 प्रतिशत | 30.6 प्रतिशत |
| कृषि में वास्तविक व्यय | 21.3 प्रतिशत | 27.8 प्रतिशत |
| गैर-कृषि व्यवसाय | 0.14 प्रतिशत | 6.7 प्रतिशत |
| उपभोग व्यय | 9.6 प्रतिशत | 8.8 प्रतिशत |
| विवाह/ सामाजिक व्यवहार | 14.4 प्रतिशत | 11.1 प्रतिशत |
| शिक्षा | 0.01 प्रतिशत | 0.08 प्रतिशत |
| स्वास्थ्य | 3.6 प्रतिशत | 3.3 प्रतिशत |
| अन्य व्यय | 2.7 प्रतिशत | 10.8 प्रतिशत |

## कर्ज के स्रोत

| | मध्यप्रदेश | भारत |
|---|---|---|
| सरकार | 1.9 प्रतिशत | 2.5 प्रतिशत |
| सहकारी समितियां | 16.9 प्रतिशत | 19.6 प्रतिशत |
| बैंक | 38.1 प्रतिशत | 35.6 प्रतिशत |
| व्यावसायिक साहूकार | 22.6 प्रतिशत | 25.7 प्रतिशत |

| | | |
|---|---|---|
| व्यापारी | 9.0 प्रतिशत | 5.2 प्रतिशत |
| रिश्तेदार/ मित्र | 10.1 प्रतिशत | 8.5 प्रतिशत |
| डॉक्टर/ वकील | 0.05 प्रतिशत | 0.09 प्रतिशत |
| अन्य | 0.08 प्रतिशत | 2.1 प्रतिशत |

## किसानों पर कितना कर्ज

| भूमि का आकार | भारत (कर्ज की राशि) | मध्यप्रदेश |
|---|---|---|
| 0.01 हेक्टर से कम | 6121 रुपये | 5100 रुपये |
| 0.01 से 0.4 हेक्टर | 6545 रुपये | 3335 रुपये |
| 0.41 से 1.00 हेक्टर | 8623 रुपये | 7323 रुपये |
| 1.01 से 2.00 हेक्टर | 13762 रुपये | 12467 रुपये |
| 2.01 से 4.00 हेक्टर | 23456 रुपये | 19256 रुपये |
| 4.01 से 10.00 हेक्टर | 42532 रुपये | 29642 रुपये |
| 10. हेक्टेयर से ज्यादा | 76232 रुपये | 61800 रुपये |

## विभिन्न सामाजिक वर्गों के किसानों पर कर्ज की औसत राशि

| वर्ग | मध्यप्रदेश | भारत |
|---|---|---|
| आदिवासी | 4812 रुपये | 5506 रुपये |
| दलित | 8910 रुपये | 7167 रुपये |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 15628 रुपये | 13489 रुपये |
| अन्य वर्ग | 25411 रुपये | 18118 रुपये |
| कुल कर्ज | 14218 रुपये | 12585 रुपये |

## प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता व्यय (मासिक) और कर्ज की राशि (किसानों में)

| प्रति व्यक्ति मासिक व्यय | मध्यप्रदेश में किसानों पर कर्ज | भारत में किसानों पर कर्ज |
|---|---|---|
| 000 से 225 रुपये | 6305 रुपये | 4446 रुपये |
| 225 से 255 रुपये | 9437 रुपये | 6127 रुपये |
| 255 से 300 रुपये | 15322 रुपये | 8591 रुपये |
| 300 से 340 रुपये | 14434 रुपये | 8544 रुपये |
| 340 से 380 रुपये | 16067 रुपये | 9100 रुपये |
| 380 से 420 रुपये | 9479 रुपये | 9510 रुपये |
| 420 से 470 रुपये | 20889 रुपये | 12873 रुपये |
| 470 से 525 रुपये | 17313 रुपये | 15178 रुपये |
| 525 से 615 रुपये | 24338 रुपये | 16529 रुपये |
| 615 से 775 रुपये | 22311 रुपये | 20537 रुपये |
| 755 से 950 रुपये | 26690 रुपये | 27630 रुपये |
| 950 रुपये से ज्यादा | 52418 रुपये | 39058 रुपये |
| **सभी वर्गों में** | **14218 रुपये** | **12585 रुपये** |

# अपराध सरकार के, माफी किसान को

29 फरवरी को जब भारत के वित्तमंत्री देश का बजट संसद में पेश करने की तैयारी कर रहे थे तब चर्चाओं के हर मंच पर यह संभावना व्यक्त की जा रही है थी कि बजट में कर्ज से ग्रस्त किसानों को कर्ज माफी का राजनीतिक तोहफा दिया जा सकता है। ऐसा होगा या नहीं यह स्पष्ट नहीं था पर संभावनाओं की अभिव्यक्ति मात्र से बाजार के बैलों का मैदान (शेयर बाजार) में 100 अंकों की गिरावट आ गई यानी शेयर बाजार की मंशा के विपरीत है यह सब कुछ।

इसी दौरान व्यापारिक संगठनों और औद्योगिक विकास के विशेषज्ञों ने यह सवाल भी दाग दिया कि किसानों को दिये जाने वाले इस तोहफे की कीमत कौन वहन करेगा? उनका मानना था कि इस रियायत के एवज में उद्योगों रियायत कम होगी। वे केवल फायदा देख रहे थे कि उन्हें इस तथ्य से कोई सरोकार नहीं था कि 1993 से फरवरी 2008 की पंद्रह वर्षीय अवधि में 1. 60 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, 48 प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुये हैं, हर किसान पर औसत 20 हजार रूपये का कर्ज है और 42 प्रतिशत किसान कोई भी छोटा–मोटा विकल्प मिलने पर कृषि के काम की आहूति दे देना चाहते हैं।

अंततः वित्तमंत्री ने संभावनाओं पर से पर्दा हटाया और अपने राजनैतिक बजट में अंततः यह घोषणा की कि एक हैक्टेयर से कम भूमिधारी सीमांत किसानों और एक हैक्टेयर से दो हैक्टेयर की भूमि वाले देश के हर किसान के कर्ज 30 जून 2008 के पहले समाप्त कर दिये जायेंगे। इससे थोड़े बहुत नहीं बल्कि 3 करोड़ किसानों को पचास हजार करोड़ रूपये की राहत मिलेगी। इतना ही नहीं एक करोड़ अन्य बड़े किसानों द्वारा एकमुश्त ऋण समायोजन करने पर 25 प्रतिशत रियात दी जायेगी, इस पर 10 हजार करोड़ रूपये का व्यय सरकार करेगी। ऐसा भी नहीं है कि बैंको पर इस घोषणा का बहुत भार पड़ेगा। 60 हजार कर्रोड़ रूपये की यह धन राशि बैंको द्वारा दिये गये कुल कर्ज का 4 प्रतिशत मात्र है और इससे ढाई गुना ज्यादा राशि तो बड़े–बड़े व्यापारिक और आद्यौगिक घरानों ने गटक ली और डकार भी नहीं ली। डेढ़ लाख करोड़ रूपये की नान परफार्मिंग असेट्स की वसूली पर सरकार मौन रहती है और बाजार की ताकतें भी। ये वे संस्थान हैं जिन्होने चुकानों में सक्षम होने के बावजूद राष्ट्रीय पूंजी का गबन किया है और उनकी मंशा पर सवालिया निशान भी है परन्तु वे ही गबनकर्ता आत्महत्या करते, गरीब, भुखमरी और अपमान के शिकार किसानों को रियायत दिये जाने पर विशेषज्ञ यह प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि इसके बजाये बीज, खाद, सिंचाई और सस्ते ऋण की नीति पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि सवाल स्थाई विकास का है। मुद्दा स्पष्ट है कि उच्च और ताकतवर वर्ग जीवन को भोगने के लिए हैं परन्तु छोटे किसान और मजदूर विकास की परिभाषा का आदर्श बनने के लिए मजबूर किए जाते हैं। सरकार के इस कदम के बारे में सबसे पहले यह मान्यता बनानी होगी कि यह कोई ''माफी'' नहीं है।

कर्ज लेकर किसानों ने कोई अपराध नहीं किया था बल्कि सरकार स्वयं किसान विरोधी नीतियां बनाने और उनके क्रियान्वयन की अपराधी है। यह एक तरह से प्रायश्चित की दिशा में पहला कदम है। इस कदम से उन 57 प्रतिशत किसानों को फायदा होगा, जिन्होंने बैंक, सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंकों से कर्ज लिया है, अब भी 43 प्रतिशत किसान इस राहत से वंचित रह गये हैं। दो हेक्टेयर की भूमि वाले किसानों पर 13762 रुपये का कर्ज है। मध्यप्रदेश के कुल कर्जदार किसानों में से 23 फीसदी ऐसे हैं, जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि हैं। 4 हेक्टेयर तक के किसानों पर 23456 रुपये कर्ज है।

सपनों और सेवाओं का व्यापार करके अर्थिक लाभ को मोक्ष तुल्य लक्ष्य मानने वाले निजी क्षेत्र की यह मान्यता है किसानों और कृषि क्षेत्र में जाने वाली रियायत सबसे अप्रिय कदम है, जो सरकार उठाती है। परन्तु वे भूल जाते हैं कि 1991 में उदारीकरण की नीतियां लागू होने के बाद भारत की तमाम सरकारों ने कृषि क्षेत्र के हकों को छीनकर बाजारवादी विकास को गति दी और इसी का परिणाम है कि डेढ़ लाख से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करना पड़ी। और अनाज उगाने वाला किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया। किसान को इस स्थिति में लाने का जतन शेयर बाजार की सूचीबद्ध कम्पनियों ने कम और सरकार ने ज्यादा किया है। हर तरह की रियायत, वह चाहे बिजली की हो, पानी की हो, करों की हो या फिर अधोसंरचनात्मक ढांचे की, उद्योग और सेवा क्षेत्र को दी गई। उद्योगों के विकास की जरूरत को नकारा नहीं जा सकता है किन्तु यह विकास किस कीमत पर हो, यह विश्लेषण बेहद जरूरी है। कृषि क्षेत्र अपने आप कमजोर नहीं हुआ है बल्कि इसे कमजोर किया गया है ताकि छोटे और सीमांत किसान सस्ते श्रम के बाजार में नीलामी के लिये उपलब्ध हो और उनके अधिकार क्षेत्र से जमीनों को कानूनन छीना जा सके। यह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नामक कार्यक्रम अपने आप में जमीन और संसाधनों की लूट जरिया बनाकर सामने लाया गया। किसानों की ऋण माफी के लिए खर्च होने वाली राशि से निजी और औद्योगिक क्षेत्र या अर्थशास्त्री चिंतित नहीं थे बल्कि वे चिंतित इस बात से थे कि सरकार के इस कदम से यह साबित हो जायेगा कि 17 सालों से चली आ रही उदारीकरण की आर्थिक नीतियों ने ही किसानों की यह दुर्दशा की है; जबकि इस तर्क को आधुनिक विकासवादी नकारते रहे हैं।

किसानों को रियायत मिली, उनके पक्ष पर यह एक अच्छा और तात्कालिक राहत देने वाला कदम है परन्तु सवाल यह है कि जिन नीतियों के कारण किसान इस स्थिति में आये उन नीतियों को बदलने के कौन से कदम सरकार उठा रही है; निःसंदेह बजट में सरकार ने ऐसे कोई खास संकेत नहीं दिये। अब भय यह भी है कि क्या यही किसान कुछ सालों बाद फिर वैसी ही स्थिति में नहीं आ जायेंगे!! विश्व व्यापार संगठन की नीतियों का समर्थन करते हुये भारत भी 14 सौ से ज्यादा उपभोक्ता सामग्रियों के आयात में रियायत देता है। जब अमेरिका से आने वाला कपास

सस्ता होगा तो भारत के कपास उगाने वाले किसान को कौन पूछेगा? अमेरिका अपने कपास उत्पादकों को जबरदस्त रियायत देता है और यहां तक कि बिना उत्पादन के अमेरिकी किसान फायदे में रहते हैं परन्तु भारत में कृषि सब्सिडी लगातार घटाई गई है। ऐसे में 20 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक किसान धोखाधडी के शिकार होते हैं क्योंकि उनकी अपनी सरकार उन्हें संरक्षण प्रदान नहीं करती है। अब भी तकलीफ की बात यह है कि सरकार ने केवल बैंकों द्वारा दिये गये कर्जों की माफी की घोषणा की है जबकि वास्तव में किसानों पर साहूकारों और निजी कर्जदाताओं का भी भारी कर्ज है। उम्मीद थी कि साहूकारी अधिनियम और अन्य बजट प्रावधानों के जरिये उस कर्ज की भी समाप्त किये जाने की पहल होती क्योंकि वह राशि सरकारी कर्ज से दो गुना से ज्यादा है। उम्मीद थी कि कृषि ऋण की ब्याज दर 7 प्रतिशत से घटा कर 4 प्रतिशत कर दी जायेगी पर ऐसा नही हुआ।

यह भी तय है कि किसानों की ऋण माफी के कदम को विकास के कदम के साथ जोड़कर नहीं देखा गया है। सरकार ने 2.80 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान कृषि ऋण के लिये किया है किन्तु बाजार में किसान को उसकी फसल का लाभप्रद दाम मिले इसका प्रावधान नहीं है न ही कहीं भी यह घोषणा की गई है कि भारत के किसानों को आत्महत्या करने के लिये मजूबर करने वाले कृषि उत्पाद के आयात को नियंत्रित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में 40 लाख छोटे और-सीमांत किसान हैं जिनके पास औसतन 0.91 हैक्टेयर भूमि है और केवल 26 प्रतिशत ही कृषि योग्य है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में माना गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी 1982-83 में 36.4 प्रतिशत थी जो वर्ष 2006-07 में घरकर 18.5 प्रतिशत रह गई है। इसके बावजूद कृषि ने आधी अरब से अधिक आबादी को निरन्तर सहायता प्रदान की है और कार्यबल के 52 प्रतिशत को रोजगार मुहैया कराया है। परन्तु कृषि उत्पादन की बढ़ोत्तरी दर वर्ष 1990-2007 के दौरान 1.2 प्रतिशत गिर गई जो जनसंख्या के औसतन 1.9 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोत्तरी दर की तुलना में कम है। अब जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है पर उत्पादन कम बढ़ रहा हैं अनाजों की खपत 1990-91 में प्रतिदिन 468 ग्राम से घटकर वर्ष 2005-06 में 412 ग्राम प्रतिव्यक्ति हो गई है। जिस दौर उतपादन कम हो रहा है उसी दौर में वित्तमंत्री विकास दर तेज होने का दावा कर रहे हैं यानी कृषि की कीमत पर देश का विकास हो रहा है। कुपोषण बढ़ा, खून की कमी के शिकार बढ़े, खाद्यान्न उपलब्धता कम हुई, किसानों ने आत्महत्यायें की पर देश विकसित हुआ यह कैसा विकास?